संख्या-282/2023/721रासनि(2)/23-1-23/002-58आरएसएन/2022टीसी-4

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 16 मार्च, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से झांसी मण्डल के जनपद जालौन के 09 मार्गों के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-3612सी/27सी/नवीनीकरण/मूल/22-23, दिनांक 15.12.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार झांसी मण्डल के जनपद जालौन के 09 मार्गों के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण के कार्यों हेतु कुल लागत रू0 16,82,22,000/- (रूपये सोलह करोड़ बयासी लाख बाइस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल रू0 1,68,20,000/- (रूपये एक करोड़ अड़सठ लाख बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	6 अंकीय यूनिक कोड	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	प्रस्तावित सतह	प्रस्तावित किमी संख्या	लम्बाई किमी में		सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण की लागत				कुल लागत (10+11+12+13)	अवमुक्त धनराशि
							लीनियर लम्बाई	समतुल्य लम्बाई	मरम्मत की लागत	नवीनीकरण की लागत	रोड मार्किंग की लागत	जीएसटी 18 प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	350369	PD Orai	खदानी बिनौरा डकोर मार्ग	ODR	PC	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	15.000	12.857	9.64	117.90	0.00	22.96	150.50	15.05
2	350208	CD-3 Orai	हमीरपुर कालपी मार्ग	SH	BC	32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43(900)	11.900	23.800	17.85	346.05	14.76	68.16	446.82	44.68
3	355326	CD-3 Orai	राठ-कालपी-मदारीपुर मार्ग	SH	BC	55(765), 56,57,58,59,60,61,62,63,64,84,89,91	12.765	22.667	17.00	313.88	15.83	62.41	409.12	40.91
4	350250	CD-3 Orai	आटा इटौरा मार्ग	ODR	BC	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10(725)	9.725	8.475	6.36	123.22	0.00	23.32	152.90	15.29
5	350251	CD-3 Orai	आटा चुर्खी मार्ग	ODR	BC	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	10.000	8.571	6.43	124.60	0.00	23.59	154.62	15.46
6	350255	CD-3 Orai	सिरसा कलार से भदेख मार्ग	ODR	PC	1(800),3,4,5,6,11,12	6.800	7.286	5.46	69.43	0.00	13.48	88.37	8.83
7	350232	CD-3 Orai	माधौगढ़ कुठौंद मार्ग	ODR	PC	19,20,21,22, 23(830),24,25, 26(60)	6.890	5.906	4.43	56.29	0.00	10.93	71.65	7.16
8	350233	CD-1 Orai	रामपुरा थाना गोहन मार्ग	ODR	PC	1(500),2,3,4,5,6,7,8,9,10(100)	8.600	9.202	6.90	94.23	0.00	18.20	119.33	11.93
9	350236	CD-1 Orai	औरेखी-अमखेड़ा-मड़ोरा-हदरूख मार्ग।	ODR	PC/P2	8,9,16,17,18,19,20,21	8.000	6.856	5.14	70.21	0.00	13.56	88.91	8.89
												कुल योग-	1682.22	168.20

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रश्नगत कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्यों को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(4) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(6) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों/स्थायी आदेशों आदि तथा सड़क निधि नियमावली में किये गये प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(7) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृति/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है।

(8) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(9) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत स्वीकृत न हों व नवीनीकरण के निर्धारित मानकों को पूरा करते हों।

(11) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का यह उत्तरदायित्व होगा कि कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये ताकि अगले नवीनीकरण चक्र तक सड़क की स्थिति यातायात हेतु सुगम बनी रहे व शीघ्र क्षतिग्रस्त न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(13) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी वित्तीय नियम/संगत शासनादेशों का उल्लंघन न हो।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 1,68,20,000/- (रूपये एक करोड़ अड़सठ लाख बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-282/2023/721रासनि(2(1))/23-1-23/002-58आरएसएन/2022टीसी-4, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/लोक निर्माण अनुभाग-6/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।